हरजिन्द्र सिंह **बनाम** सर्वजीत सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 65 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/213

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 17 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 24/20 के मुरब्बा नम्बर 42, 43 की कुल 1.594 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी के चल रहे शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण अन्य किसी व्यक्ति के साथ मिलकर दखलअंदाजी करने एव करवाने पर उतारू है। इसलिए इन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाई है। जबकि वादगत भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 सर्वजीत सिंह का कब्जा काश्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वादगत भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होना पाया गया है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) करणपुर (श्री गंगानगर)